संख्या- 3/2021/1681/बयालिस-2021-229(विविध)/2017टी0सी0।।।

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक: 15 सितम्बर, 2021**

विषय- **जनपद मेरठ में उत्तर प्रदेश स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जनपद मेरठ में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा पत्र संख्या-692/उ0प्र0स्टे0स्पो0यूनि0/2020-21,दिनांक 30.01.2021 के माध्यम से तहसील सरधना के ग्राम सलावा व कैली में सिंचाई विभाग के स्वामित्व की संरक्षित वन भूमि रकबा 36.9813 हे0 के प्रस्ताव के आलोक में उक्त भूमि खेल विभाग को नि:शुल्क प्रदान किये जाने हेतु सिंचाई विभाग के शासनादेश दिनांक 03.10.2005 द्वारा गठित मुख्य सचिव स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 24.02.2021 के कार्यवृत्त से सम्बन्धित शासन के पत्र संख्या- 1115/बयालिस-2021-229(विविध)/2017टी0सी0।।।, दिनांक 29.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव स्तरीय समिति की दिनांक 24.02.2021 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल जनपद मेरठ की तहसील सरधना के ग्राम सलावा व कैली में सिंचाई विभाग के स्वामित्व की संरक्षित वन भूमि रकबा 36.9813 हे0 निम्न शर्तो के अधीन एतद्द्वारा खेल विभाग को स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्पोर्टस युनिवर्सिटी के विस्तार, उच्चीकृत अवस्थापनाओं के मद्देनजर खेल विभाग के अनुरोध के क्रम में जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा स्पोर्टस युनिवर्सिटी की स्थापना हेतु तहसील सरधना के ग्राम सलावा व कैली में उपलब्ध सिंचाई विभाग के स्वामित्व की वन संरक्षित भूमि रकबा 36.9813 हे0 का पुनरीक्षित प्रस्ताव पुन: उपलब्ध कराया गया है। खेल विभाग द्वारा जिलाधिकारी, मेरठ से ग्राम सलावा व कैली में निर्विवाद अविभाजित लगभग 40 हे0 (40 हे0 से कुछ कम) एकमुश्त भूमि का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का पुन: अनुरोध किया गया है, जिससे न्यूनतम 30,000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल पर निर्माण हो सके।

-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) ग्राम सलावा व कैली की उक्त भूमि पर सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में कुछ भवन आदि का निर्माण कराया गया है। उक्त अवस्थित भवनों की प्रतिपूर्ति एवं उनके वैकल्पिक स्वरूप हेतु लगभग रू0 3.00 करोड सिंचाई विभाग को प्रतिफल के रूप में दिया जाना होगा।

(3) ग्राम सलावा व कैली की उक्त भूमि वन संरक्षित होने के कारण उक्त भूमि पर निर्माण कार्य की अनुमति हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि व कुछ निर्धारित शुल्क दिया जाना होगा। खेल विभाग उक्त प्रस्तावित भूमि के बदले जनपद मेरठ के हस्तिनापुर पाण्डवान की भूमि लगभग 40 हे0 भूमि, जो सेंक्चुरी क्षेत्र में खेल विभाग के स्वामित्व में है, वन विभाग को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध करायेगा एवं उक्त लगभग 40 हे0 भूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि जो भी होगी खेल विभाग द्वारा वह धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उक्त आदेश के अनुपालन का पूर्ण दायित्व निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ एवं नोडल अधिकारी/प्रभारी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, क्षेत्रीय खेल कार्यालय, मेरठ का होगा।

भवदीया,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1621(1)/बयालिस-2021-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0 प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0 प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
7- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
8- जिलाधिकारी, मेरठ ।
9- नोडल अधिकारी/ प्रभारी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, कैलाश प्रकाश स्पोर्टस स्टेडियम, क्षेत्रीय खेल कार्यलय, मेरठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in